



आर.ई.ओ.-58

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एच. मांजर हाउस, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, जोधपुर- 342 003 फोन नं. 0291 2651113 (क) फैक्स नं. 2741070

क्रमांक:- अप्रति/जोधपुर डिरिक्टॉय/अनु-पीपीएम/पत्रांतराभाष्य /पेंसं 876 जोधपुर दिनांक 26/8/03

आदेश

विषय :- निरस्त आवेदन पत्रों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में।

पूर्य में निगम के आदेश संख्या जीविविजिलि/अज-पीपीएण्डएम/फा.सामान्य आस्था/ प्रो 1476 दिनांक 24.10.2002 (आर.ई.ओ. 38) के द्वारा ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनके आवेदन अप्रैल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गये थे, उनको दिसम्बर 2002 तक रुपये 500/- जमा कराने पर पुनर्जीवित कराने का प्रावधान किया गया था।

अतः अकाल के कारण कृषि आवेदकों/जनप्रतिनिधियों की मांग को स्थान में रखते हुए राहत पहुंचाने के उद्देश्य से समन्वय समिति की 60 वीं मीटिंग दिनांक 7.8.2003 में निर्णय लिया गया है, कि ऐसे समस्त उपभोक्ता जिनके आवेदन अप्रैल 1999 के बाद मांग पत्र जमा नहीं कराने के कारण निरस्त हो गये हैं, उनको 31 दिसम्बर 2003 तक रुपये 500/- जमा कराने पर आवेदन पुनर्जीवित करने का एक और अवसर दिया जा रहा है। मांग पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार दिये जायें, अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।


(आर.एस.चौधरी) 26.8.03

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिरिक्टॉय, जोधपुर।